PERFECTION IAS

50 DAYS PLAN

Mains Answer Writing Program
for **BPSC 67**

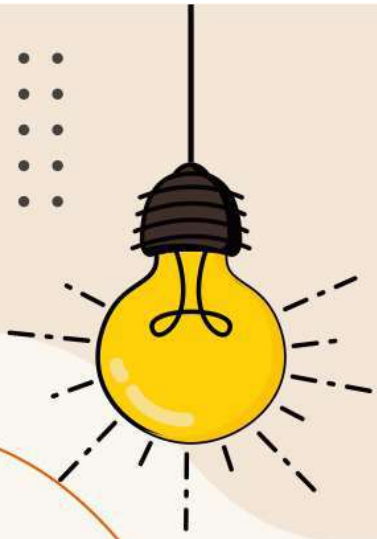

INDIAN ECONOMY

18. What are the problems associated with poverty alleviation programme and policy of the govt? Suggest some innovative ideas for dealing this problem.

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सरकार की नीतियों से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नवोन्मेषी विचारों का सुझाव दीजिए।

REG. OFFICE: 103, KUMAR TOWER, BORING RD. CROSSING, PATNA
9031036700 / 9031036701
/Perfection IAS Perfection IAS(Official) www.perfectionias.com

18. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सरकार की नीतियों से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नवोन्मेषी विचारों का सुझाव दीजिए।

परिचय:

गरीबी, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सेवाओं से वंचित होने की स्थिति है। गरीबी उन्मूलन भारत में नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुआ है।

2019 में, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दर्शाया गया कि भारत ने 2006 और 2016 के बीच 27.1 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। इसके बावजूद, भारत अभी भी दुनिया में गरीबों की सबसे बड़ी संख्या में से एक का घर बना हुआ है। हालांकि गरीबी की दर में गिरावट आई है, लेकिन रंगराजन समिति के अनुसार अभी भी हमारी 29.6% आबादी गरीबी में जी रही है। एनएफएचएस-4 के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, भारत की लगभग 25.01% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है।

उत्तर का मुख्य भाग:

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सरकार की नीतियां:

1. **कौशल विकास/रोजगार/स्वरोजगार आधारित:** एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) आरईजीपी, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम आदि।
2. **आधारभूत संरचना आधारित:** जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई), आदि।
3. **खाद्यान्न संबंधित:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), आदि।
4. **अन्य:** प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), आदि।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ी समस्याएं

1. **गरीबी की परिभाषा पर आम सहमति का अभाव** - जहां विश्व बैंक यह सीमा प्रति व्यक्ति क्रयशक्ति के आधार पर 1.90 अमेरिकी डॉलर निर्धारित करता है, वहीं अलघ समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति आदि ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है। रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह ने गरीबी का अनुमान लगाने की सुरेश तेंदुलकर समिति की कार्यपद्धति को अस्वीकार कर अनुमान लगाया कि भारत में गरीबों की संख्या जनसंख्या का 29.5 प्रतिशत है। इससे पहले, तेंदुलकर समिति की कार्यपद्धति पर आधारित अनुमानों में 2011-12 में गरीबी का अनुपात 21.9 आंका गया था।
2. **प्रच्छन्न लाभार्थी और गरीबी का बोझ निर्धारित करने में त्रुटियां** - गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। जबकि, एनएसएस और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के बीच उपभोग व्यय में तालमेल नहीं है। इससे गरीबी का बोझ निर्धारित करने में सांख्यिकीय त्रुटियां होती हैं।
3. **नौकरशाही की उदासीनता और भ्रष्टाचार** - अधिकारी कु-अभिप्रेरित, अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, भ्रष्टाचार प्रवण और स्थानीय अभिजात वर्ग के विभिन्न प्रकार के दबावों के प्रति सुभेद्य हैं, जिससे संसाधनों का अकुशल रूप से उपयोग किया जाता है और बर्बादी होती है।
4. **अपर्याप्त वित्तपोषण, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच असंतोषजनक संबंध और अभिसरण** - गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधन अपर्याप्त हैं और इस बात पर अकथित सहमति है कि फंड की उपलब्धता के अनुसार लक्ष्य घटा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मनरेगा में वित्तपोषण का मुद्दा। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों और विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। उदाहरण के लिए- आईआरडीपी और उससे जुड़े कार्यक्रम संधारणीय कृषि विकास या ग्रामीण औद्योगीकरण रणनीति की समग्र रणनीति में या क्षेत्र के संसाधन-आधार के साथ पर्याप्त रूप से पाशबद्ध नहीं हैं।
5. **कोष्ठागार में परिचालन** - भले ही बड़ी संख्या में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन काम फाइलों में चल रहा है। गरीब लोगों की पहचान करने, उनकी जरूरतों को निर्धारित करने, उन्हें पूरा करने और उन्हें गरीबी से निकलने में सक्षम बनाने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं हुआ हैं।

6. **तकनीकी और संस्थागत क्षमताओं की कमी** – संस्थाएं सरकारी नीतियों को प्रभावित करती हैं, जो बदले में विकास और वितरण परिणामो को प्रभावित करती हैं, जिससे गरीबी में कमी की गति प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक बहिष्करण के परिणामस्वरूप राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं माने जाने वाले कुछ समूह सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक पहुंच से वंचित हो सकते हैं।
7. **समावेशी प्रतिभागिता का अभाव** – स्थानीय स्तर की संस्थाओं, समुदायों की कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रतिभागिता नगण्य है।
8. **विफल लक्ष्य** – किसी व्यक्ति या परिवार को किसी भी कार्यक्रम या कार्यक्रमों के समूह के माध्यम से न्यूनतम स्तर का जीवन निर्वाह प्राप्त करने के लिए व समर्थ बनाने के लिए सरकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं है।
9. **कोविड-19 का प्रभाव** – गरीबी, असमानता और खाद्य कीमतों में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति को संकटपूर्ण बना दिया है और उनमें अभी तक न देखा गया ऋण का स्तर देखा जा रहा है। अनुसंधाान केंद्र के एक अध्ययन से पता चलता है कि कोविड-19 के चलते व्यवधान के कारण भारत में 7.5 करोड़ गरीब बढ़ गए हैं।

इस समस्या को संबोधित करने के लिए नवोन्मेषी विचार

1. **गरीबी में भौगोलिक आयाम जोड़कर उसका पुनर्गठन:** सरकार को लोगों की जरूरतों के अनुसार गरीबी रोधी कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना चाहिए और योजनाओं का तार्किकीकरण, समय की जरूरत है। गरीबी का देश के कुछ हिस्सों में संकेंद्रण है। इसलिए, इन क्षेत्रों में पहुंच को सार्वभौमिक बनाने के लिए सबसे गरीब जिलों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
2. **सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना:** गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लोगों को वापस मुख्यधारा में लाना चाहिए। स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से उर्ध्वगामी दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी और स्थानीय जरूरतों के आधार पर नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
3. **समावेशी विकास के साथ विकास और समाज में दोषों को दूर करने पर ध्यान देना:** भारत का विकास संधारणीय और समावेशी होना चाहिए। राज्यों को अब केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के बजाय आर्थिक न्याय, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि जैसे मापदंडों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, एनएफएचएस 2015-16 के आंकड़ों से धार्मिक समूहों के बीच बहुआयामी गरीबी की व्यापकता और तीव्रता में अंतर पता चलता है। मुसलमानों में गरीबी की व्यापकता और तीव्रता अधिक है, उसके बाद हिंदुओं और ईसाइयों में है। जनता को आधुनिक और समावेशी पहचान के इर्द-गिर्द एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा सिखाया गया है।
4. **बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना:** बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में सफलता की असली कसौटी इसकी संधारणीयता है। हर घर में नल, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरों का 100% विद्युतीकरण, उज्ज्वला योजना आदि जैसी योजनाओं को बेहतर परिणामों के लिए प्रभावी परिणामों के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह, बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक सुधार की चुनौती को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
5. **मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और गरीबों की संख्या का समय-समय पर लेखा-जोखा:** सरकार जो पहले उपभोग पर व्यय का सर्वेक्षण (सीईएस) कर गरीबी रेखा को अद्यतन किया करती थी, ने इस पर हाल ही में कोई आंकड़ें नहीं जारी किए हैं। जड़ता कम करने और बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए अंतर-मंत्रालय और अंत:-मंत्रालय समन्वय की आवश्यकता है
6. **एसएचजी नेटवर्क को पुनर्जीवित करना और महिला सशक्तिकरण:** आईसीडीएस का विस्तार, क्रेच योजना को पुनर्जीवित करना, जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व बढ़ाना, पोषण अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गरीबी उन्मूलन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एसएचजी का सूक्ष्मवित्तपोषण परिवार की आय बढ़ाने की महिलाओं की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। जहां, इससे लैंगिक समानता बढ़ेगी, वहीं, यह महिलाओं को कुपोषण और गरीबी के दुष्चक्र में पड़ने से भी बचाएगा।

7. सर्वोत्तम और नवोन्मेषी अभ्यास से शिक्षा:

a) आकांक्षी जिला कार्यक्रम: इस कार्यक्रम में ध्यान आदानों और बजट से हटाकर परिणामों, जैसे सीखने और कुपोषण पर केंद्रित किया गया है। इसलिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सर्वोत्तम अनुभवों का सावधानीपूर्वक प्रलेखन करना और उनसे सीखना जरूरी है।

b) जापान की भांति **संपत्ति वितरण परिषदों** की स्थापना से गरीबी का बोझ धीरे-धीरे कम हो सकता है।

c) गरीबी के विशिष्ट घटकों के साथ प्रगति पर नजर रखना। जैसे: **बुनियादी आवश्यकता सूचकांक** (आर्थिक सर्वेक्षण 2020)।

d) संपत्ति कर फिर से लागू करना: प्रगतिशील कराधान केवल समतापूर्ण रिकवरी के लिए है जैसा कि अर्जेंटीना में देखा गया है।

e) प्रौद्योगिकी का उपयोग: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि जैसी तकनीकों के उपयोग से लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और डीबीटी से लाभार्थी बिचौलिओं के बिना लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

गरीबी एक बहुआयामी मुद्दा है, इसलिए इससे अर्थव्यवस्था के केवल एक क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करके नहीं लड़ा जा सकता है। गरीबी कम करने की रणनीतियां सभी क्षेत्रकों के साथ-साथ गरीबी से उद्धार पर केंद्रित होते हुए बहुआयामी भी होनी चाहिए।

❑